सं0सं0–7/बजट–46–16/2021– 461 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–27/02/2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के 8 (आठ) चिकित्सा महाविद्यालयों यथा–PMCH, पटना, JLNMCH, भागलपुर, DMCH, दरभंगा, ANMMCH, गया, SKMCH, मुजफ्फरपुर, NMCH, पटना, GMC, बेतिया एवं JNKTMCH, मधेपुरा में GeM पोर्टल के माध्यम से ERP Solution का क्रय करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर सेंटेज सहित रू० 14,77,30,077/– (रुपये चौदह करोड़ सतहत्तर लाख तीस हजार सतहत्तर) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में द्वितीय किस्त के रूप में रू० 1,00,00,000/–(रूपये एक करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना के पत्रांक–1940, दिनाक–10.06.2024 एव पत्रांक–4620, दिनाक–29 08 2024 द्वारा राज्य के 8 (आठ) चिकित्सा महाविद्यालयों यथा–PMCH, पटना, JLNMCH, भागलपुर, DMCH, दरभंगा, ANMMCH, गया, SKMCH, मुजफ्फरपुर, NMCH, पटना, GMC, बेतिया एव JNKTMCH, मधेपुरा मे GeM पोर्टल के माध्यम से ERP Solution का क्रय करने हेतु रू० 14,77,30,077/– (रुपये चौदह करोड सतहत्तर लाख तीस हजार सतहत्तर) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इससे राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रो के नामांकन, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि, शैक्षणिक–प्रशैक्षणिक गतिविधियॉ, अनुसधान कार्य, फैकल्टी की शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक गतिविधियॉ, उपस्थिति, आतंरिक एवं वाह्य परीक्षा, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयो से उत्तीर्ण छात्रो का Follow-up, मेडिकल रजिस्ट्रेशन कौंसिल मे छात्रो का रजिस्ट्रेशन, विश्वविद्यालय से सूचना का ऑनलाईन आदान–प्रदान, भविष्य मे छात्रों के प्रमाण–पत्रो के सत्यापन आदि विषयो के लिए एक IT Solution को उपयोग मे लाया जा सके।

2– तद्क्रम मे वित्तीय वर्ष 2024–25 मे राज्य के 8 (आठ) चिकित्सा महाविद्यालयों यथा–PMCH, पटना, JLNMCH, भागलपुर, DMCH, दरभंगा, ANMMCH, गया, SKMCH, मुजफ्फरपुर, NMCH, पटना, GMC, बेतिया एव JNKTMCH, मधेपुरा में GeM पोर्टल के माध्यम से ERP Solution का क्रय करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर सेटेज सहित रू० 14,77,30,077/– (रुपये चौदह करोड सतहत्तर लाख तीस हजार सतहत्तर) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–119(7), दिनाक–07 08.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। उक्त स्वीकृत योजनान्तर्गत पुन: वर्त्तमान वित्तीय वर्ष मे द्वितीय किस्त के रूप में रू० 1,00,00,000/–(रूपये एक करोड) मात्र व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश सं0/आवटनादेश स0 एव दिनाक
1	2024–25	1,00,00,000/–	स0–228(7), दिनांक–21.10.2024
कुल योग–		**1,00,00,000/–**	

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–119(7), दिनाक–07.08.2024 में निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

5– इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उप–शीर्ष–0111–मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20–4210011100111 अतर्गत विषय शीर्ष 52–01 मशीने एवं उपस्कर– कार्यालय ईकाई मद में उपबंधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6– इस राशि की निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-- ---------- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04 98, 8543 वि0(2), दिनाक–27.11.2007, 2199/वि0, दिनांक–24.03.2017, 3758/वि0, दिनाक–31.05 2017, 9470/वि०, दिनाक–20.10 2023 एवं 12888/वि० दिनांक–03 12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10– प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की सहमति प्राप्त है।

11– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स0स0–7/बजट–46–16/2021 के पृष्ठ–36.../टि0 पर प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13– यह मात्र व्ययादेश है, आवटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/2/25

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक–7/बजट–46–16/2021–461(7) /स्वा0, पटना, दिनाक–27/02/2025

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/सबंधित प्रमडलीय आयुक्त/सबधित जिला पदाधिकारी/सबधित प्राचार्य एव अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव– सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7 /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/2/25

सरकार के अपर सचिव